कार्यालयः प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद बुलन्दशहर हेतु निर्धारित 231 सीटों के सापेक्ष निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त सीटों की तीन गुनी संख्या में चतुर्थ जांच सूची जो 'List of candidates for verification of Original Documents' निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। चतुर्थ जांच सूची बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी Website – http://bulandshahar.nic.in पर अथवा www.scertup.org के Home page पर बने Link 'Fourth List for verification of Original Documents' / चतुर्थ जाँच सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सैट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 14–5–08 को सभी शिक्षा मित्र, दिनांक 15–5–08 को सभी महिला अभ्यर्थी, दिनांक 16.5.08 को सभी पुरूष अभ्यर्थी, दिनांक 17.5.08 को सभी छूटे हुए अभ्यर्थी प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों ।

कट ऑफ मैरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षामित्रों से भिन्न				शिक्षामित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	260.36	258.24	250.06	252.25	—	212.24
अनु0जाति	233.77	222.29	229.45	227.42	—	165.45
अनु0जनजाति	—	—	216.98	—	—	—
अन्य पिछड़ा वर्ग	247.43	241.37	244.89	244.39	—	205.37

विशेष आरक्षण	शिक्षामित्र से भिन्न		शिक्षामित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
विकलांग				
दृष्टिबाधित (5)	—	209.78	—	—
श्रवणह्रास (6)	—	165.93	—	—
चलन क्रिया (7)	240.97	—	—	—
स्व0सं0सै0 आश्रित (8)	175.40	219.85	—	—
भू0पू0सैनिक (9)	—	—	—	—

- जारी की गयी चतुर्थ जॉच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :– 1. अप्रैल 2008 में निर्गत जॉच सूची में सम्मिलित तथा जॉच हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों में से वे जो तत्समय मूल अभिलेखों की जॉच हेतु उपस्थित नहीं हो सके थे को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि वे इच्छुक हों तो उपरोक्त तिथियों में जॉच हेतु उपस्थित होने का अतिरिक्त अन्तिम अवसर इस विज्ञप्ति के माध्यम से इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि उनकी श्रेणी में रिक्ति शेष रहने की स्थिति में ही उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा। इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी माध्यमों से सूचना नहीं दी जायेगी, क्योंकि उन्हें पूर्व में ही विभिन्न माध्यमों से सूचित करके अवसर दिया जा चुका है। उस तिथि में भी उनके द्वारा संस्थान में उपस्थित न होने पर यह मान लिया जायेगा कि वे इस जनपद में अपने अभ्यर्थन हेतु कदापि इच्छुक नहीं हैं और इस जनपद में उनका किसी प्रकार का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बुलन्दशहर